संख्या: 27/ 2022/546 /तीस-1-2022-5(02)/2018

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 23 नवम्बर, 2022

विषय: जनपद-कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर में परिवहन निगम का बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-255बी/डीए/पूर्व/22-55जेईटी/वि0/ईई(ई)/14-15, दिनांक 11.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-26/2018/1133/तीस-1-2018-5(2)/2018, दिनांक 08.08.2018 द्वारा धनराशि रू0 857.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 400.00 लाख कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में नामित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश सं0-08/2020/1610/तीस-1-2019-5(2)/2018, दिनांक 26.02.2020 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1235.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये द्वितीय किश्त के रूप में रू0 457.86 लाख, शासनादेश संख्या-06/2021/759/तीस-1-2020-5(2)/2018, दिनांक 28.01.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 185.39 लाख एवं शासनादेश संख्या-05/2022/392/तीस-1-2021-5(2)/2018, दिनांक 07.01.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख अर्थात अब तक कुल धनराशि रू0 1093.25 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.03.2022 द्वारा जनपद-कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनुपर के बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण हेतु पंचम किश्त के रूप में रू0 80.89 लाख (5 प्रतिशत धनराशि रोकते हुये) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर में बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 1235.94 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु पंचम किश्त के रूप में रू0 80.89 लाख (रूपये अस्सी लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ परिवहन निगम को होगा।
(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

(13) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-26/2018/1133/तीस-1-2018-5(2)/2018, दिनांक 08.08.2018, शासनादेश संख्या-08/2020/1610/तीस-1-2019-5(02)/2018, दिनांक 26.02.2020, शासनादेश संख्या-06/2021/759/तीस-1-2020-5(2)/2018, दिनांक 28.01.2021 एवं शासनादेश संख्या-05/2022/392/तीस-1-2021-5(2)/2018, दिनांक 07.01.2022 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-E-9-83-X-2022-23, दिनांक 15.11.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या: 27 / 2022/546 (1)/तीस-1-2022-5(02)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3 ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।